

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 मार्च 2020—फाल्गुन 28, शक 1941

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2020

क्र. एफ 10-02-2020-सत्रह-मेडि-02.—मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 50 के अंतर्गत, राज्य सरकार, एतद्वारा, नोवल कोरोना (**COVID-19**) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत नोवल कोरोना (**COVID-19**) को संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित संक्रामक रोग (**Notified Infectious Disease**) घोषित करती है।

2. उपरोक्त अधिसूचना आगामी आदेश तक प्रभावी होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव चन्द्र दुबे, सचिव।